

पत्रांक-7/जाति-19-11/2008 का.- 732
झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

प्रमोद कुमार तिवारी
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी उपायुक्त
सभी अनुमण्डल पदाधिकारी
सभी अंचल अधिकारी,
झारखण्ड।

रांची, दिनांक 23.01.13

विषय : अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के अभ्यर्थियों को निर्गत किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र।
प्रसंग : विभागीय परिपत्र संख्या-7/जा0नि0 19-11/2008 -10007 दिनांक 19.08.2012

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के अभ्यर्थियों को निर्गत किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र के प्रपत्र का निर्धारण प्रासंगिक परिपत्र (प्रपत्र-II) द्वारा किया गया है। उक्त परिपत्र की अनुलग्नक सहित प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एतद् द्वारा पुनः संलग्न की जा रही है।

इसकी प्रति झारखण्ड सरकार के वेबसाइट jharkhand.gov.in पर कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग के अन्तर्गत उपलब्ध करा दी गई है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

15/21/13

(प्रमोद कुमार तिवारी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-7/जाति-19-11/2008 का.- 732 /रांची, दिनांक 23.01.13

प्रतिलिपि-अनुलग्नक की प्रतिलिपि सहित, सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/21/13

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-7/जाति-19-11/2008 का.-.....732...../रांची, दिनांक 23.01.13

प्रतिलिपि-अनुलग्नक की प्रतिलिपि सहित सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/झारखण्ड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पर्सद को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-7/जाति-19-11/2008 का.-.....732...../रांची, दिनांक 23.01.13

प्रतिलिपि-अनुलग्नक की प्रतिलिपि सहित, विभागीय प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट किया जाय।

सरकार के उप सचिव।

